

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संख्या-2/एम०-19/2016-

/स्वा०, पटना, दिनांक / /2025

डा० (श्रीमती) रेखा सिन्हा, सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, तारापुर, मुंगेर के दिनांक-23.05.2002 से 29.05.2002 तक कुल 07(सात) दिन को वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-121(25), दिनांक-02.02.2015 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-230 के आलोक में उपार्जित अवकाश के रूप में तथा दिनांक-15.02.2006 से 03.12.2006 एवं दिनांक-02.08.2014 से 30.12.2016 तक के अनुपस्थित अवधि को असाधारण अवकाश (पेंशन प्रदायी नहीं) के रूप में स्वीकृत किया जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

सरकार के अवर सचिव।

ज्ञापांक-2/एम०-19/2016-

746(2)

पटना, दिनांक 15/5/2025

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, मुंगेर/उपाधीक्षक, अनुमंडलीय अस्पताल, तारापुर, मुंगेर/कोषागार पदाधिकारी, मुंगेर/डा० (श्रीमती) रेखा सिन्हा, ऐच्छिक सेवानिवृत्त चिकित्सा पदाधिकारी, अनुमंडलीय अस्पताल, तारापुर, मुंगेर का पत्राचार का पता-मोहल्ला-अलिगंज, पो०-बॉका, थाना-बॉका, जिला-बॉका, पिन कोड-813102 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-3, 9, 17 एवं 18A, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

08/5/25

सरकार के अवर सचिव।